

urgent

Gram : RAJCERTIFY



राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर
RAJASTHAN STATE SEED & ORGANIC PRODUCTION
CERTIFICATION AGENCY, JAIPUR

Regd. & Head Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur- 302005
Tel.: No. 0141-2227104, 2227456 (Fax): 2227315 / Email : dir_rssopca@rediffmail.com.in

Ref. No.: एफ 1()बीप्रसं/संस्थापन/13/

Date.....

आयुक्त,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
जयपुर।

विषय :- अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय की संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना न्यूनतम साईज में निम्न स्तर के एक अखबार में DPR Rate पर नियमानुसार प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

1. एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के संस्करणों में।

संलग्न :- एक

क्रमांक:- 7998-8013

निदेशक
दिनांक:- 9/12/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर, अल्पकालीन निविदा सूचना का विस्तृत विवरण विभागीय Website पर डालने हेतु।
2. रागरत इकाई बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को संलग्न सूचना "कार्यालय नोटिस बोर्ड" पर लगवाने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, संस्था मुख्यालय, जयपुर।

संलग्न :- एक

निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,


पंत कृषि भवन, तृतीय ताल, जनपथ, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक 7997-8013

दि 09-12-2013

अल्पकालीन निविदा सूचना

पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसियों/संस्थाओं से संस्था मुख्यालय तथा इकाई कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों (मय मशीन समस्त उपकरण सहित) जिन्हें लेखा सम्बन्धी कार्य, टेली, ई.आर.पी. पर कार्य करने एवम् हिन्दी व अंग्रेजी में टाईपिंग की अच्छी स्पीड तथा कम्प्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पाइंट, इन्टरनेट पर कार्य करने की दक्षता हो, की सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु सील बन्द निविदाये दिनांक 31.12.2013 तक आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता 500 रु. नकद/डी.डी. जमा करवाकर निविदा प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत विवरण संस्था कृषि विभाग की वेबसाईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।


(यशपाल महावत)
निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर (राज.) 302005



निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500/-

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन उपलब्ध करवाने हेतु

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,

पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर (राज.) 302005

तकनीकी निविदा

(पीले रंग के लिफाफे में बन्द करें)

1. निविदादाता फर्म का नाम
2. निविदादाता फर्म का पतादूरभाष संख्या/मोबाइल नं.
3. निविदादाता फर्म का पंजीकृत होना आवश्यक है:- **निम्न सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

क्र.स	पंजीयन करने वाली संस्था	पंजीयन संख्या एवं दिनांक
1.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन	
2.	श्रम विभाग में पंजीकृत	
3.	पेन नम्बर	
4.	फर्म का एक वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम 10.00 लाख हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

4. निविदा फार्म मूल्य जमा का विवरण:-
रसीद संख्या..... दिनांक राशि..... ।
5. धरोहर राशि रुपये 25,000/- निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर / रसीद संख्या..... दिनांकराशि..... ।
6. फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. प्रत्येक ऑपरेटर को कम्प्यूटरपर सरकारी अथवा निजी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है , प्रत्येक ऑपरेटर के लिए उक्त अनुभव का प्रमाण पत्र , उसे किये गये भुगतान का प्रमाण सहित प्रस्तुत करना होगा।
8. जिस निविदादाता फर्म की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे लिखित में अनुबंध करना होगा। फर्म द्वारा तकनीकी निविदा में वाछित योग्यताधारी कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सूची प्रस्तुत करनी होगी, तथा उन सभी ऑपरेटरों को संस्था द्वारा निर्धारित तिथि पर टेस्ट हेतु संस्था कार्यालय में उपस्थित होना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु दुबारा कोई मौका अभ्यार्थी को नहीं दिया जायेगा। अतः फर्म ऐसे कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सूची प्रस्तुत करे जो कि संस्था के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्टमें उर्तीण होने योग्य हो। अतः फर्म द्वारा अपने स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी जिसमें ऑपरेटर की हिन्दी व अंग्रेजी में टाईपिंग की अच्छी स्पीड तथा कम्प्यूटर में वर्ड , एक्सेल, पावर पाइंट, इन्टरनेट पर कार्य करने की दक्षता की परीक्षा ले ली गई हो, ऐसे योग्य ऑपरेटरों की सूची को प्रस्तुत करेगी।
9. उक्त टेस्ट हेतु फर्म को उक्तानुसार ऐसे ऑपरेटरों की सूची प्रस्तुत करनी होगी तथा साथ ही प्रत्येक ऑपरेटर के निम्नांकित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे:-
 1. एक वर्ष का कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुभव (इस हेतु भुगतान के प्रमाण -पत्र भी प्रस्तुत करें।)
 2. न्यूनतम बेसिक कम्प्यूटर कोर्स के साथ 12 वीं कक्षा में उर्तीण करने का प्रमाण- पत्र तथा बेसिक कम्प्यूटर कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10. उक्त स्क्रीनिंग टेस्ट का उद्देश्य केवल फर्म की तकनीकी निविदा का मूल्यांकन करना है तथा इस टेस्ट का ऑपरेटरों की भर्ती या नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है।
11. अनुबंध 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। सेवाएं संतोषजनक होने पर 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
12. कम्प्यूटर ऑपरेटर को हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर में दक्ष होना चाहिये तथा वर्ड, एक्सेल, पावर पाइंट, इन्टरनेट में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
13. कम्प्यूटर के सभी कार्यों हेतु सेवा प्रदाता फर्म जिम्मेदार होगी, संस्था मासिक पारिश्रमिक के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी या नुकसान के लिए जिम्मेदारी या नुकसान के लिए जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी।
14. फर्म को राजकीय अवकाशों एवं कार्यालय समय के पश्चात भी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं मांगने पर उपलब्ध करवानी होगी, इसका अलग से कोई भुगतान नहीं होगा।
15. किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर उसके स्थान पर दूसरा ऑपरेटर तुरन्त लगाना होगा। यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना स्वीकृति के 3 या अधिक दिवस तक अनुपस्थित पाये जाने पर हटा दिया जायेगा।
16. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चेक द्वारा फर्म को किया जायेगा।
17. किसी विवाद में निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
18. यह अनुबंध सेवा प्रदाता फर्म तथा राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के मध्य है तथा ऑपरेटरों एवं संस्था के मध्य कोई सम्बन्ध/जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. तकनीकी निविदा की सभी शर्तों में अर्हता प्राप्त फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
20. निविदा में दिये गये करों के अतिरिक्त कर संबंधित अथवा अन्य कोई दायित्व सेवा प्रदाता फर्म का ही होगा, संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. निविदा दर में समस्त प्रकार के टैक्सेज शामिल होंगे। सभी करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन होगा।
22. फर्म राज्य सरकार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन नियम की पालना करनी होगी।
23. फर्म कम्प्यूटर ऑपरेटरों का कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के नियमों के तहत पी.एफ.जमा करायेगा। ठेकेदार पी.एफ.जमा कराने के बाद, चालान की प्रति संस्था को प्रस्तुत करेगा।
24. निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तोजो की सूची इस प्रकार है।

(उक्त में से किसी एक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।)

1. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन।
2. श्रम विभाग में पंजीकृत।
3. पेन नम्बर।
4. फर्म का एक वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम 10.00 लाख हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

हस्ताक्षर

(निविदादाता)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,

पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर (राज.) 302005

कम्प्यूटर ऑपरेटर की वित्तीय निविदा

(सफेद रंग के लिफाफे में बन्द करें)

निविदा फार्म का मूल्य रूपये 500 /—

1. निविदा खोलने की दिनांक :-

2. निविदादाता फर्म का नाम :-

3. निविदादाता का पता :-

4. प्रस्तावित दर :-

(अंको में).....

(शब्दों में).....

+ नियमानुसार सेवा कर देय होगा ।

नोट :- (उपरोक्त दरों के अतिरिक्त संस्था द्वारा अन्य कोई कर या दायित्व वहन नहीं किया जायेगा।)

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,

पंत कृषि भवन, जयपुर

निविदा की शर्तें

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 कमांक प.9 (1) वित्त -1(1) आ.व्यय/2004 दिनांक 28.07.2008 के बिन्दु संख्या के 3 के पूर्व एवं संशोधित परिपत्र कमांक एफ 9(1) एफ.डी.आई (1) बजट 2010 दिनांक 25.07.2011 के सन्दर्भ में :-

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. अनुबंध प्रारम्भ में 1 वर्ष की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जायेगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जावेगी।
6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते हैं जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संभारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
9. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी से किया जायेगा तथा वसूलियाँ यदि कोई होतो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।



राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
पंत कृषि भवन, जयपुर

क्र.स.	विवरण	मुख्यालय तथा इकाईयों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन
1.	संख्या	15 कम्प्यूटर ऑपरेटर। आवश्यकतानुसार संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
2.	योग्यता	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम बेसिक कम्प्यूटर कोर्स। अंग्रजी व हिन्दी दोनो मे दक्ष ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जायेगी।
3.	निविदा के साथ धरोहर राशि जमा	25000/- रूपये नकद/ड्रफ्ट जो कि राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर के नाम से हो।
4.	फार्म जाम करवाने की अंतिम तिथि	31.12.2013 अपरान्ह 01:00 बजे
5.	निविदा खोलने की तिथि व समय	31.12.2013 अपरान्ह 04:00 बजे

(यशपाल महावत)
निदेशक